न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील संख्या– अपील/डिक्री/टी.ए./2357/2005/टोंक

1– श्री लादू पुत्र श्री कल्याण जाति जाट
1/1 बद्रीलाल पुत्र स्व. लादू जाति जाट
1/2 सुनिता देवी पुत्री स्व. लादू जाति जाट
1/3 श्रीमती लादीदेवी पत्नि स्व. लादू जाति जाट
2– श्री चतुर्भुज पुत्र श्री कल्याण जाति जाट
3– श्री रामरतन पुत्र श्री कल्याण जाति जाट
समस्त निवासीगण बगड़ी तहसील पीपलू जिला टोंक

–अपीलार्थीगण

–बनाम–

1– श्री जगदीश नाथ पुत्र श्री सावतनाथ जाति जोगी
2– श्री श्योजीनाथ पुत्र श्री सावतनाथ जाति जोगी
3– श्री मोहन दत्तक पुत्र श्री छोगानाथ जाति जोगी
4– गुलाबनाथ पुत्र उद्दानाथ जाति जोगी निवासी बगड़ी तहसील पीपलू, जिला टोंक। (फौत)
4/1 श्री सुवानाथ पुत्र गुलाबनाथ
4/2 श्री रामदेवनाथ पुत्र गुलाबनाथ
4/3 श्री प्रहलाद पुत्र गुलाबनाथ
4/4 कमला पुत्री गुलाबनाथ
4/5 गीता पुत्री गुलाबनाथ
4/6 धापू बेवा गुलाबनाथ।
5– श्री श्योनारायण उर्फ शिवनारायण पुत्र लालनाथ
6– प्रेमचन्द पुत्र शिवनारायण
7– ओमप्रकाश पुत्र शिवनारायण
8– महेन्द्र पुत्र शिवनारायण
समस्त जाति जोगी निवासीगण बगड़ी तहसील पीपलू जिला टोंक
9– तहसीलदार, पीपलू जिला टोंक।

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री अजीत सिंह राजावत, सदस्य
श्री राजेश कुमार दडिया, सदस्य

उपस्थित–
श्री हंगामीलाल, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
प्रत्यर्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

–निर्णय–

दिनांकः– 29–01–2026

अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा अपील संख्या – 39/1999 बउनवान लादू व अन्य बनाम जगदीशनाथ व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–03–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम बगड़ी तहसील टोंक के साबिका खसरा नम्बर 783 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 868 रकबा 10 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 867 रकबा 14 बिस्वा में से 11 बिस्वा भूमि के बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के तहत वादपत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि आराजी जैर उनके पूर्वज उदानाथ के नाम दर्ज रिकार्ड भूमि रही है। जिस पर पूर्वजों के समय से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उदानाथ की मृत्यु के उपरान्त उनके तीन पुत्र सावतनाथ, छोगानाथ एवं गुलाबनाथ हुए। वादग्रस्त भूमि कालान्तर में सहवन से लालनाथ के नाम दर्ज रिकार्ड कर दी गई, जबकि कब्जा काश्त प्रत्यर्थीगण का रहा है। कालान्तर में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 868 रकबा 10 बिस्वा भूमि का विक्रय पत्र लालनाथ के पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा तस्दीक करवा दिया गया। परन्तु पुनः उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जोकि प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र है, के पक्ष में खातेदारी में अंकित करवा दी गई तथा दिनांक 07–01–1987 एवं 08–01–1987 को वादग्रस्त भूमि का बेचान दौराने वाद कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 को कर दिये जाने की स्थिति में आराजी जैर पर अपने अधिकारों की सुरक्षार्थ वादपत्र पेश किया गया। उक्त वादपत्र को अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर किये बिना ही कि वादग्रस्त भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 5 का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है नाही लालनाथ द्वारा आराजी जैर का बैयनामा वादीगण के पक्ष में निष्पादित ही करवाया गया है। उपरोक्त तथ्यों के बावजूद भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 5 के वादपत्र को डिक्री कर दिया गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा आराजी जैर के राजस्व रिकार्ड की स्थिति को दृष्टिगत् रखे बिना ही अपीलार्थीगण की अपील को खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

3– प्रत्यर्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद भी उनके न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण की बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 5 द्वारा अधीनस्थ विचारण

न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किये जाने पर अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए वादपत्र में अंकित कथनों को नकराते हुए यह अभिकथन किया गया था कि वादग्रस्त भूमि लालनाथ की मृत्यु के उपरान्त उनकी बेवा श्रीमती भगवती के नाम दर्ज हुई तथा उसके उपरान्त श्रीमती भगवती द्वारा उक्त भूमि के साथ–साथ अन्य अराजीयात् का दानपत्र अपने पोत्रों के नाम कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 श्योनारायण नाथ का उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं था। नाही उक्त भूमि के बेचान की अधिकारिता ही प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त थी। इसी प्रकार वादग्रस्त भूमि पर प्रत्यर्थीगण/वादीगण का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा उक्त भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 5 जा 7 के पक्ष में निष्पादित होने के उपरान्त आराजी जैर का नामान्तरणकरण भी ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 28–01–1987 को तस्दीक किया जा चुका है। उक्त नामान्तरणकरण के विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, टोंक के समक्ष अपील पेश किये जाने पर उक्त अपील भी खारिज हो चुकी है। ऐसी स्थिति में यह स्वीकृत स्थिति है कि वादग्रस्त भूमि का बेचान लालनाथ द्वारा नहीं किया गया है तथा नाही आराजी जैर पर वादीगण का कभी कब्जा काश्त ही रहा है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष जरिये जवाबदावा समस्त स्थिति प्रकट होने के बावजूद भी वादपत्र एवं जवाबदावे के अनुसरण में कायम किये गये विवाद्यक का विवेचन एकतरफा तौर पर करते हुए वादपत्र को विधि विरूद्व एवं राजस्व रिकार्ड के विपरीत जाकर डिक्री किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा तनकीयात् का विवेचन एवं विश्लेषण किये बिना केवल मात्र सरसरी तौर पर वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर 783 का सेटलमेंट पर्चा 1942 में हद्वा उदानाथ की खातेदारी में अंकित होने एव आरजी जैर का विक्रय दौराने अस्थाई निषेधाज्ञा किये जाने के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील को खारिज कर दिया गया। जबकि प्रकरण की वस्तुस्थिति यह है कि वादग्रस्त भूमि के तमाम राजस्व रिकार्ड में अपीलार्थीगण के पूर्वज एवं वर्तमान में अपीलार्थीगण एवं पश्चात्वर्ती क्रेता के नाम दर्ज रिकार्ड रहा है। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आराजी जैर के राजस्व रिकार्ड एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विहित प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलार्थीगण के अधिकारों को समाप्त किया गया है। जिसकी विधि अनुमति प्रदान नहीं करती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती होने के बावजूद भी पुष्टि योग्य नहीं होने से अपीलार्थीगण की हस्तगत् द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावे।

5– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण की बहस पर मनन किया गया तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं परिशीलन किया गया।

6– प्रकरण में हमने अधीनस्थ विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलें में प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 4 के द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष ग्राम बगड़ी तहसील टोंक के साबिका खसरा नम्बर 783 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 868 रकबा 10 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 867 रकबा 14 बिस्वा में से 11 बिस्वा भूमि के बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के तहत वाद प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र का डिक्री किया गया तथा इसी अनुरूप प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की अपील को खारिज करते हुए अधीनस्थ विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पुष्टि की गई है। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समतर्वी निर्णय व डिक्री की वैधानिकता निर्धारण द्वितीय अपील के स्तर पर करते हुए यह अभिनिर्धारित किया जाना है कि क्या दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत् है अथवा नहीं ? अपीलार्थीगण जोकि वादग्रस्त भूमि के क्रेता है, उक्त विक्रय पत्र के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 4/वादीगण के वादपत्र को अस्वीकार करते हुए पंजीकृत विक्रय पत्र के अनुसरण में अधिकारिता को समाप्त किया जा सकता है अथवा नहीं ?

7– इस संबंध में हमने वादपत्र एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों को अवलोकन किया। प्रकरण में वादपत्र के मद संख्या 1 में आराजी जैर को उद्धानाथ ही खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि होना अभिलिखित किया गया है। उक्त कथन के आधार पर कायम की गई विवाद्यक संख्या–1

''आया विवादग्रस्त भूमि उद्धानाथ पुत्र भींवनाथ की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि थी और अब उनके उत्तराधिकारी वादीगण कब्जे काश्त में है।''

उक्त कथन एवं विवाद्यक के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–6 का अवलोकन किया। प्रकरण में वादीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्यों के रूप में नकल बन्दोबस्त मोजा बगड़ी तहसील बगड़ी पगरना टोंक रियासत, टोंक मुतवेजा जनाब सैयद नसीरूद्धीन हैदर साहब बहादुर रेवेन्यू मेम्बर व इन्चार्ज बन्दोबस्त सन् 1942 ईस्वी उर्द मय सही अनुवाद पेश किया। जिसके अवलोकन से यह जाहिर है कि विवादित खसरा नम्बर 783 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि कॉलम संख्या 10 में नाम खातेदारान् उद्धानाथ बशरान का नाम बतौर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। ऐसी स्थिति में दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसरण में उक्त खसरा नम्बर 783 वादीगण के पूर्वज उद्धानाथ की खातेदारी होना प्रकट होता है। जिसके हाल खसरा नम्बर 867 तादादी 1 बीघा 04 बिस्वा एवं 868 तादादी 10 बिस्वा पैमूद होना जाहिर है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 783 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा भूमि वादीगण के पूर्व उद्धानाथ के नाम दर्ज रिकार्ड होना अंकित है। लिहाजा अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या – 1 को उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसरण में वादी के पक्ष में

सिद्व करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं किया जाना परिलक्षित होता है।

8– प्रकरण में अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र एवं जवाबदावे के समर्थन में विवाद्यक संख्या – 2 कायम किया गया कि ''आया विवादग्रस्त भूमि लालनाथ के नाम गलती से लग गई व लालनाथ ने एक बैयनामा व तहरीर वादी के पक्ष में किया है।'' उपरोक्त विवाद्यक के समर्थन में वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 यथा विक्रय पत्र जोकि लालनाथ वन्द छीतर द्वारा खसरा नम्बर 783 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा भूमि के बाबत् दिनांक 09–08–1967 को बहक छोगानाथ पुत्र उद्धानाथ के नाम प्रतिफल 95/– रूपये में से आघे 47/– रूपये 50 पैसे प्राप्त करते हुए निष्पादित किया गया है, पेश किया गया, जिसमें वर्णित भूमि की मलियत 100/– से कम है इसलिए उसका पंजीयन आवश्यक नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि जोकि वादपत्र के मद संख्या – 4 के अनुसार गलती से लालनाथ के नाम दर्ज हो गई थी, लालनाथ स्वयं के द्वारा उक्त आराजीयात् का बैयनामा छोगानाथ वल्द उद्धानाथ के पक्ष में निष्पादित किये जाने से विवाद्यक संख्या – 2 का विवेचन वादपत्र के मद संख्या – 4 को समर्थित करता है। इसी अनुरूप विवाद्यक संख्या – 4 जोकि आराजी जैर के खातेदारी अधिकारों के मुश्तहक होने के प्रश्न पर आधारित है, को भी उपरोक्त तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसरण में वादीगण के पक्ष में निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार त्रुटि जाहिर नहीं होती है।

9– मामलें में जहाँ तक विवाद्यक संख्या – 3, 5 व 6 का प्रश्न है, इस संबंध में सर्वप्रथम विचारणीय प्रश्न यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एवं 6–7 की और से विचारण न्यायालय के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए चरण संख्या – 3 में यह अभिलिखित किया गया है कि ''वास्तविकता यह है कि लालानाथ की मृत्यु के उपरान्त आराजीयात् विवादग्रस्त का दाखिल खारिज कर बेवा पत्नि श्रीमती भवगती के नाम हुआ था, और उसने ही अपने पौत्रों के नाम अन्य आराजीयात् के साथ विवादग्रस्त आराजीयात् का भी दानपत्र कर दिया था।'' तथा इसी अनुरूप आगे अभिलिखित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या – 1 श्योनारायण नाथ का उक्त आराजीयात् से कोई संबंध नहीं था।

इस प्रकार वादग्रस्त भूमि जरिये भगवती द्वारा निष्पादित दानपत्र के माध्यम से प्राप्त होना अभिलिखित किया गया है वहीं दूसरी तरफ श्योनारायण का वादग्रस्त भूमि से कोई सरोकार नहीं होने का कथन किया गया है। परन्तु अपने उक्त कथन के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एवं 6–7 की और से कोई दस्तावेजी प्रमाण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है जिससे यह जाहिर हो सके कि आराजी जैर का दानपत्र श्रीमती भगवती बेवा लालानाथ द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के पक्ष में निष्पादित किया गया हो, वरन् पत्रावली के साथ संलग्न साक्ष्य यथा विक्रय पत्र दिनांक 06–07–1978 के अवलोकन से यह जाहिर है कि श्योनारायण पुत्र लालनाथ द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 868 रकबा 10 बिस्वा भूमि का बेचान राशि 1000/– रूपये प्रतिफल प्राप्त करते हुए छोगानाथ पुत्र उद्धानाथ के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 जोकि

प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का संरक्षक है, के द्वारा आराजीयात् का विक्रय किया जा चुका था। उक्त तथ्य का संज्ञान होते हुए भी पुनः उसी भूमि का बेचान पश्चातवर्ती रूप से प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 को किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 अपने पिता द्वारा किये गये विक्रय से पाबन्द होना स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त जहाँ तक वादग्रस्त भूमि का नामान्तरणकरण प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष में स्वीकृत होने का प्रश्न है, इस संबंध में चूंकि यह स्वीकृत स्थिति है कि आराजी जैर 10 बिस्वा का बेचान श्योनारायण द्वारा पूर्व में छोगानाथ पुत्र उद्धानाथ को किया जा चुका था, तथा विवादित भूमि का क्रय दौराने वाद कार्यवाही किये जाने से उक्त बेचान के आधार पर दर्ज नामान्तरणकरण जोकि एक सूक्ष्य कार्यवाही (Fiscal Proceeding) है, के आधार पर वादीगण के अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। प्रकरण में अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त तमाम दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 4 के वादपत्र को स्वीकार किया गया है तथा जिसकी पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा की गई। प्रकरण में प्रदर्श–1 जो एक अपंजीकृत विक्रय विलेख है, जो वादग्रस्त भूमि के बाबत् छोगानाथ के हक में दिनांक 06–08–1967 को लालनाथ के द्वारा निष्पादित करा दिया गया था तो कोई विवादित भूमि उसके पश्चात् शेष ही नहीं बची थी। उसके पश्चात् जितने भी संव्यवहार हुए है उनको विधि मान्यता प्रदान नहीं करती है और उक्त प्रलेख प्रदर्श–1 में वर्णित भूमि का मूल्य 97/– बताया है जिसका मूल्य 100/– से कम है इसलिए पंजीकरण आवश्यक नहीं था और इस दस्तावेजात की शुद्धता के संबंध में प्रतिपरीक्षा में केवल मात्र यह प्रश्न किया गया है कि लालनाथ के द्वारा जो लिखा–पढ़ी की गयी वह अकेले छोगाराम के हक में की गयी। दस्तावेजात विधितः निष्पादित नहीं हो इस बाबत् कोई सुझाव प्रतिपरीक्षा में नहीं दिया गया है। जब वादग्रस्त भूमि छोगानाथ को सन् 1967 में ही अंतरित हो गयी थी तो उसके पश्चात् लालनाथ के वारिस द्वारा जितने भी संव्यवहार किए गए है वह विधि की दृष्टि में मान्यता प्राप्त संव्यवहार नहीं है अर्थात् अपीलार्थी द्वारा जो वादग्रस्त भूमि अन्य भूमि के साथ दिनांक 08–01–1987 को क्रय की गयी व शिवनारायण द्वारा सन् 1978 में 10 बिस्वा भूमि छोगानाथ को विक्रय की गयी। उपरोक्त दोनों संव्यवहार/ विक्रय–पत्र पूर्व में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 06–08–1967 के पश्चात् के है। जब लालनाथ द्वारा दिनांक 06–08–1967 को वादग्रस्त भूमि छोगानाथ को विक्रय कर दी गयी थी तो उस विक्रय से उनके वारिसान विबंधित है। हस्तगत अपील लंबन के दौरान जरिए प्रार्थनापत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत अपीलार्थी की ओर से दस्तावेजात पेश किए गए। वह सातों दस्तावेजात यथा जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, नामांतकरण, मिलान क्षेत्रफल सभी से यही परिलिक्षित होता है कि वादग्रस्त भूमि लालनाथ में निहित थी और लालनाथ में निहित भूमि को उसने सन् 1967 में ही छोगानाथ को जरिए प्रदर्श–1 विक्रय कर दिया था, इसलिए इस दस्तावेजातों से अपीलार्थी को कोई सहायता प्रदान नहीं होती है क्योंकि सन् 1967 में लालनाथ द्वारा छोगानाथ के हक में जो विक्रय विलेख दर्ज कराया था उस विक्रय विलेख की पालना में नामांतकरण दर्ज नहीं होने से अधिकार जो विक्रय विलेख से प्राप्त हुए है वह स्वतः ही समाप्त नहीं हो जाते। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण हस्तगत् द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त

करने के अधिकारी नहीं होने से अपीलार्थीगण की अपील अस्वीकार कर खारिज योग्य पाई जाती है।

10– परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत् द्वितीय अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा अपील संख्या 39/1999 बउनवानी लादू व अन्य बनाम जगदीशनाथ व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–03–2005 एवं सहायक कलेक्टर मुकाम टोंक द्वारा वाद संख्या 23/1987 बउनवानी जगदीशनाथ व अन्य बनाम श्योनारायण आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20–07–1999 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य

(अजीत सिंह राजावत)
सदस्य